न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 6–दो/07 विरूद्ध आदेश, दिनाक 5–9–2006 पारित द्वारा आयुक्त सागर संभाग सागर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 615/अ–6/05–06.

गोविन्दसिंह तनय निरपतसिंह राजपूत
निवासी ग्राम सेमाढाना, हाल चकराघाट वार्ड
सागर तहसील जिला सागर म0 प्र0 .....आवेदक

विरूद्ध

1 कीरतसिंह तनय पूरनसिंह उम्र 50 साल
निवासी ग्राम सैमाढाना तहसील जिला. सागर
2 म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर सागर

.....अनावेदकगण

श्री गोविन्दसिंह राजपूत, अभिभाषक, आवेदक
श्री गजेन्द्र सिंह, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3.2.16 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण क्रमांक 6–दो/07 राजस्व मण्डल में म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, सागर के निगरानी प्रकरण क्रमांक 615/अ–6/05–06 में पारित आदेश दिनांक 5–9–2006 के विरूद्ध संस्थित हुआ है ।

2./ प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । बंदोबस्त उपरान्त रकबा पूर्ति एवं नक्शा दुरूस्ती हेतु निगराकार गोविन्द सिंह द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें बन्दोबस्त पूर्व के सर्वे नंबर 285 रकबा 1.299 हैक्टेयर का बन्दोबस्त उपरान्त सर्वे नंबर 254

रकबा 1.20 हैक्टेयर बन जाने का बिन्दु था । इस आवेदन पर नायब तहसीलदार, जैसीनगर द्वारा उनके प्रकरण क्रमांक 13/अ–6(अ)/93–94 में पारित आदेश दिनांक 27–4–98 के माध्यम से रकबा पूर्ति एवं नक्शा दुरूस्ती आदेश जारी किया गया, जिसमें सर्वे नंबर 254 के रकबे की पूर्ति सर्वे नंबर 253 से किए जाने का लेख था । सर्वे नंबर 253 गैर निगराकार कीरतसिंह का था । नायब तहसीलदार द्वारा यह आदेश कीरत सिंह के विरूद्ध दिनांक 3–4–98 को एक पक्षीय कार्यवाही करके किया गया था, क्योंकि उनके न्यायालय में कीरतसिंह को दिनांक 3–4–98 को पेशं होने हेतु जारी नोटिस दिनांक 27–3–98, कीरतसिंह के भाई वीरेन्द्र को कोटवार द्वारा तामील कराया गया था जिसके बाद वह नायब तहसीलदार को वापस प्राप्त हुआ था, किन्तु दिनांक 3–4–98 को कीरत सिंह नायब तहसीलदार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था । इस पेशी दिनांक 3–4–98 की अगली पेशी दिनांक 27–4–98 को नायब तहसीलदार ने उनके प्रकरण में अंतिम आदेश पारित कर दिया था ।

कीरतसिंह ने नायब तहसीलदार के उक्त आदेश दिनांक 27–4–98 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, सागर के समक्ष अपील की थी । अनुविभागीय अधिकारी ने उनके प्रकरण क्रमांक 32/अ–6(अ)/99–00 में पारित आदेश दिनांक 28–8–03 के माध्यम से प्रकरण नायब तहसीलदार को उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर गुणदोष के आधार पर निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया था ।

अनुविभागीय अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध निगराकार ने अपर कलेक्टर, सागर के समक्ष निगरानी की, जहॉ प्रकरण क्रमांक 16/अ–6/04–05 में पारित आदेश दिनांक 24–5–06 से निगरानी निरस्त हुई ।

इसके विरूद्ध निगराकार ने आयुक्त सागर के समक्ष निगरानी की, जहॉ प्रकरण क्रमांक 615/अ–6/05–06 के आक्षेपित आदेश दिनांक 5–9–06 से निगरानी निरस्त हुई ।

आयुक्त के इस आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रकरण संस्थित हुआ ।

3/ मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने ।

निगराकार अधिवक्ता ने प्रकरण के ऊपर लिखे जा चुके तथ्यों और निगरानी मेमो के बिन्दुओं को दोहराते हुए यह कहा कि कीरतसिंह और उसका भाई वीरेन्द्र शामिल शरीक भूमि के सहखातेदार थे । ऐसे में वीरेन्द्र पर नोटिस तामील होने के बावजूद कीरतसिंह द्वारा नायब तहसीलदार न्यायालय में नियत पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध प्रकरण एक पक्षीय करने में नायब तहसीलदार ने कोई गलती नहीं की । उन्होंने यह भी कहा कि अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब के बिन्दु का निराकरण बगैर किए आदेश पारित किया है, जो अनुचित है । साथ ही उन्होंने राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी के प्रस्तुतिकरण में उनके द्वारा कारित विलम्ब की माफी हेतु निवेदन किया ।

गैर निगराकार अधिवक्ता ने तर्क किया कि उन्हें अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर करने में विलंब इसलिए हुआ था क्योंकि उनका भाई वीरेन्द्र और वह स्वंय अलग अलग रहते हैं । यदि नोटिस उन्हें या उनकी पत्नी या बच्चे को तामील कराया गया होता, तो वह नायब तहसीलदार न्यायालय में नियत पेशी को अवश्य उपस्थित होते । वे यदि राजस्व मण्डल तक में अपने हित के संरक्षण के लिये आ सकते हैं, तो नायब तहसीलदार के समक्ष भी जरूर जाते । उनके विरूद्ध नायब तहसीलदार द्वारा एक पक्षीय निर्णय किये जाने से उन्हें नायब तहसीलदार के आदेश की जानकारी विलंब से घनश्याम शिवहरे की भूमि के सीमांकन की कार्यवाही के दौरान मिली । जिसके बाद उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की । साथ ही उन्होंने निगराकार द्वारा राजस्व मण्डल में विलंब से निगरानी दायर किए जाने के कारण यह निगरानी प्रकरण खारिज किए जाने की मांग की । उन्होंने यह भी कहा कि नायब तहसीलदार के उक्त आदेश के फलस्वरूप उनके स्वामित्व के सर्वे नंबर 253 का

रकबा 1.190 हैक्टेयर हो जाता है, जबकि बन्दोबस्त के पूर्व के संबंधित सर्वे नंबर 284/2 का रकबा इससे अधिक (1.214 हैक्टेयर) था । उन्होंने कहा कि प्रकरण में स्वत्व का कोई विवाद नहीं है । अतः यदि निगराकार द्वारा सिविल कोर्ट से संबंधित कोई बिन्दु उठाया जाता है, तो उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है । अंत में उन्होंने कहा कि यह प्रकरण केवल बंदोबस्त त्रुटि सुधार से संबंधित है, जिसके लिए न्यायहित में अनुविभागीय अधिकारी, अपर कलेक्टर एवं आयुक्त ने समवर्ती निष्कर्ष उभयपक्ष को सुनकर गुणदोष पर निर्णय लेने बाबत दिए हैं । इन आधारों पर उन्होंने यह निगरानी खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

4/ प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में मैंने प्रकरण के अभिलेख का बारीकी से अध्ययन किया । इस समस्त कार्यवाही के बाद, विचारोपरान्त मैं निम्न निष्कर्षों पर पहुँचता हूँ:–

(1) नायब तहसीलदार द्वारा कीरतसिंह पर बगैर विधिवत नोटिस तामील कराए और उसे बगैर पक्ष समर्थन का अवसर दिए, केवल एक पेशी में उसके विरूद्ध प्रकरण एक पक्षीय कर दिया जाना, और उसकी अगली पेशी में अंतिम आदेश पारित कर गैर निगराकार कीरतसिंह के सर्वे नंबर 253 से निगराकार गोविन्दसिंह के सर्वे नंबर 254 के रकबे की पूर्ति किए जाने का निर्णय ले लिया जाना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के प्रतिकूल था ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का अवसर देकर गुणदोष पर निर्णय लेने हेतु प्रकरण नायब तहसीलदार को प्रत्यावर्तित करने का आदेश पारित करना न्यायोचित था, क्योंकि इससे दोनों पक्षों को बात रखने और अपने हितों का संरक्षण करने का मौका मिलने वाला था । इस निर्णय को लेने हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष का विलंब, न्यायहित में तथा गैर निगराकार द्वारा प्रस्तुत तर्क के प्रकाश में, क्षमायोग्य माना जाना ही उचित है ।

(3) राजस्व मण्डल के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब के कारण समाधानकारक नहीं है ।

(4) अपर कलेक्टर एवं आयुक्त के अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखने के निर्णय उचित हैं । उनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्षों के प्रकाश में मैं, आयुक्त सागर का आक्षेपित आदेश दिनांक 5–9–06 यथावत रखते हुए यह निगरानी प्रकरण खारिज कर समाप्त करता हूँ ।

पक्षकार सूचित हों ।
रिकार्ड वापस हों ।
दा0द0 हो ।

3.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर